भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लिया।

मुख्य बिंदु

- **सेवानिवृत्ति:**
  - CJI संजीव खन्ना **13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुए, जिससे सर्वोच्च न्यायालय** के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।
  - उन्होंने 10 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया और **छह महीने तक शीर्ष पद पर कार्य किया।**
- **न्यायमूर्ति बीआर गवई द्वारा दिये गए प्रमुख निर्णय:** उन्होंने वर्ष 2016 की **नोटबंदी को** बरकरार रखा और वे उस पीठ का हिस्सा थे, जिसने **अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा।**
  - वह उस संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने **चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था** (?????????? ??? ?????????? ??????????? ????? ????? ?????)।
  - **पंजाब राज्य बनाम देविंदर सिंह (2024) मामले** में, उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई में "वास्तविक समानता" सुनिश्चित करने के लिये **एससी/एसटी पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की वकालत की।**
- **मुख्य न्यायाधीश से संबंधित प्रमुख प्रावधान:**
  - **नियुक्ति: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति** द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के अंतर्गत की जाती है। परंपरा के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के **सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को** CJI के रूप में नामित किया जाता है।
    - वरिष्ठता का मापन सर्वोच्च न्यायालय में **सेवा की अवधि के आधार पर किया जाता है।**
  - **योग्यता:** मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये:
    - **वह भारत का नागरिक** होना चाहिये।
    - वह पाँच वर्षों तक किसी **उच्च न्यायालय (या लगातार उच्च न्यायालयों)** का न्यायाधीश रहा हो ; या
    - **वह किसी उच्च न्यायालय (या लगातार उच्च न्यायालयों) में दस वर्ष तक अधिवक्ता** रहा हो;
    - राष्ट्रपति की राय में उन्हें **एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिये।**
  - **मुख्य न्यायाधीश की भूमिका: "रोस्टर के मास्टर"** के रूप में मुख्य न्यायाधीश के पास विशिष्ट मामलों को विशेष पीठों को सौंपने तथा सर्वोच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार होता है।
    - **सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय** में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये राष्ट्रपति द्वारा **मुख्य न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के साथ)** से परामर्श किया जाता है।
    - मुख्य न्यायाधीश संविधान के **अनुच्छेद 127 के** तहत **सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।**
    - **राष्ट्रपति की स्वीकृति** से मुख्य न्यायाधीश **सर्वोच्च न्यायालय की सीट को** दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं।
  - **निष्कासन:** मुख्य न्यायाधीश को **राष्ट्रपति द्वारा तभी हटाया जा सकता है जब संसद दोनों सदनों में विशेष बहुमत** (कुल सदस्यों का बहुमत तथा **उपस्थित और मतदान करने वालों में से कम से कम दो-तिहाई**) द्वारा समर्थित अभिभाषण प्रस्तुत करे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/52nd-chief-justice-of-india